भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1091

दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पार्थिव अवशेषों का प्रत्यावर्तन

1091. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेशी क्षेत्राधिकार में अचानक या अस्वाभाविक रूप से मृत होने वाले भारतीय नागरिकों के संबंध में मृत्यु के मामलों को दर्ज करने और प्रलेखन की प्रक्रिया तैयार करने के लिए भारतीय मिशनों द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) और सही समय-सीमा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग करते हुए तमिलनाडु सहित राज्य-वार कितने शवों को भारत वापस लाया गया है और इस पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार को बहु-एजेंसी समाशोधन (विदेशी पुलिस, एयरलाइनों और घरेलू ई-केयर पोर्टल) में शोक संतप्त परिवारों को हो रहे गंभीर प्रशासनिक विलंब की जानकारी है, यदि हां, तो क्या निःशुल्क संभार तंत्र का समन्वय करने के लिए दूतावासों के भीतर एक एकीकृत एकल खिड़की हेल्पडेस्क शुरू किया जाएगा; और

(घ) प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीआई) के अंतर्गत वर्तमान में विदेशी नियोक्ताओं के पास लंबित मृत्यु मुआवजा और बीमा निपटान के मामलों की कुल संख्या कितनी है और कानूनी उत्तराधिकारियों को समयबद्ध राहत सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र हैं?

उत्तर

विदेश मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) विदेश में निधन होने वाले भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीरों का जल्द से जल्द परिवहन करने के लिए मंत्रालय द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जाती है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों के साथ समन्वय करने के लिए एक सु-व्यवस्थित तंत्र/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। जिससे कि भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीरों को भारत में उनके गृह नगरों तक ले जाने में सुविधा हो सके।

भारतीय मिशनों/केंद्रों के कोंसली विंग में विदेशों में भारतीय नागरिकों की मृत्यु के मामलों और उनके पार्थिव शरीरों को भारत लाने या स्थानीय दफन/अंतिम संस्कार कराने के लिए समर्पित नोडल अधिकारी/जांच डेस्क होते हैं। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि विदेशों स्थानीय अधिकारियों से भारत में ले जाने की अनुमति मिलने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी हों। अगर मृत्यु प्राकृतिक नहीं है, तो पुलिस जांच पूरी करनी होती है। जैसे ही विदेश में स्थित संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र को किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु होने की जानकारी मिलती है, तो वे मौके पर ही स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित अधिकारियों से उस भारतीय नागरिक की मृत्यु के कारण की रिपोर्ट मांगते हैं। विदेश में स्थित हमारे मिशन/केंद्र, मृत भारतीय नागरिक के निकटतम संबंधी को सूचित करते हैं, और मृतक के परिवार की इच्छा के अनुसार पार्थिव शरीर को भारत में लाने या दफनाने/अंतिम संस्कार में मदद करते हैं।

भारतीयों के पार्थिव शरीर के परिवहन में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

i. परिवार, यदि स्वयं पार्थिव शरीर लेने के लिए विदेश नहीं जा सकते हैं तो वे किसी व्यक्ति को नामित करते हैं ताकि वह उनकी ओर से विदेश में औपचारिकताएँ पूरी कर सके।

ii. अधिकृत व्यक्ति/नियोक्ता द्वारा बीमा कंपनी (यदि कोई हो) को सूचित करना।

iii. अधिकृत व्यक्ति/नियोक्ता द्वारा एक परिवहनकर्ता का नामांकन करना (यदि कोई हो तो बीमा कंपनी से परामर्श करना)।

iv. यदि लागू हो, तो पुलिस अधिकारियों से एफआईआर की प्रति प्राप्त करना ।

v. परिवहनकर्ता द्वारा पार्थिव शरीर का संरक्षण, ताबूत और क्वारंटाइन से जुड़ी औपचारिकताएँ जल्द से जल्द पूरी करना ।

vi. अधिकृत व्यक्ति/नियोक्ता द्वारा पार्थिव शरीर के परिवहन हेतु हवाई टिकट प्राप्त करना।

vii. प्राधिकृत व्यक्ति को दस्तावेज़ प्राप्त करने की आवश्यकता है - जहां लागू हो, एफआईआर, चिकित्सा प्रमाणपत्र /मृत्यु प्रमाणपत्र, मूल पासपोर्ट, एंबाल्मिंग प्रमाणपत्र, ताबूत प्रमाणपत्र, क्वारंटाइन प्रमाणपत्र, परिवार द्वारा प्राधिकार पत्र, सामानों की सूची, एयर वे बिल (कॉपी या

विवरण) और मूल पासपोर्ट को रद्द करने के लिए दूतावास/कोंसलावास को देना, जिस पर मिशन/केंद्र "मृत्यु प्रमाणपत्र और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)" जारी करता है।

viii. परिवार द्वारा उस व्यक्ति का नामांकन जो उनकी ओर से, आवश्यकता पड़ने पर, भारतीय हवाई अड्डे पर पार्थिव शरीर प्राप्त करेगा।

भारतीय मिशन/केंद्र विदेश में स्थित विभिन्न अधिकारियों से मृतक के पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए संपर्क करते हैं:-

i. संबंधित अस्पताल से जारी चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट / मृत्यु प्रमाण पत्र;

ii. पुलिस रिपोर्ट (यदि रिपोर्ट किसी अन्य भाषा में है तो अंग्रेज़ी अनुवाद सहित), आकस्मिक या असामान्य मृत्यु के मामले में;

iii. मृतक के नज़दीकी रिश्तेदार से स्थानीय अंतिम संस्कार / दफनाने / पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए सहमति पत्र;

iv. मिशन / केंद्र द्वारा आवश्यकतानुसार परिवहन या अंतिम संस्कार / दफनाने के लिए एनओसी जारी करना;

v. विदेश में संबंधित अधिकारियों से पार्थिव शरीर का एम्बाल्मिंग कराने के लिए मंजूरी और व्यवस्थाएं ;

vi. स्थानीय आप्रवासन /सीमा शुल्क विभाग से मंजूरी।

यह प्रक्रियाएँ देश-दर-देश में स्थानीय नियमों के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग करते हुए भारत लाए गए पार्थिव शरीरों की संख्या, के साथ कुल वार्षिक कोष व्यय इस प्रकार है

आईसीडब्ल्यूएफ के अंतर्गत पार्थिव शरीरों का परिवहन			
क्रम सं .	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	कुल व्यय (रुपए में)
1	2023	433	9,06,38,615
2	2024	488	11,96,50,424
3	2025	435	11,49,17,649

मंत्रालय के पास राज्यवार डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय समयबद्ध रूप से पार्थिव शरीरों के परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का ई-केयर (eCARe) क्लियरेंस पोर्टल (https://ecare.mohfw.gov.in) पार्थिव शरीरों के भारत में परिवहन के लिए 48 घंटों के भीतर मंजूरी /क्लियरेंस देने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल सभी हितधारकों को एक ही ऑल-इन-वन इंटरफेस पर जोड़ने के लिए बनाया गया है, जिसमें कंसाइनी, एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (एपीएचओ) और एयरलाइंस शामिल हैं। यह पोर्टल, ऑटोमैटेड पीरियॉडिक अलर्ट्स और लाइव स्टेटस ट्रैकिंग के साथ दस्तावेजों के सुचारु एवं समय पर मंजूरी /क्लियरेंस देने में सहायता करता है।

(घ) मंत्रालय प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) के तहत लंबित मामलों की अलग सूची नहीं रखता है। पॉलिसीधारक, नामित व्यक्ति या कानूनी वारिस द्वारा जमा किए गए दावों का मूल्यांकन स्कीम चलाने वाली बीमा कंपनी करती है, जो पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार हर दावे को या तो मंजूर करती है या अस्वीकार करती है तथा बीमा कंपनी, मंत्रालय के साथ स्थिति संबंधी रिपोर्ट साझा करती है।
